कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी0 एस0 वी0 एम0 मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या– /एन0डी0/2025 दिनांक-15/10 /2025

–: सूचना :–

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–148/71–1–24/71–1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024, पत्र संख्या–I/868657/2025/71–1005(001)/20/2021 पार्ट–1 दिनांक 03–02–2025 एवं पत्र संख्या–I/889183/2025/71–1005(001)/20/2021 पार्ट–1 दिनांक 24–02–2025 के अनुपालन में कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर में रिक्त नर्सिंग शिक्षकों के पदों (प्रोफेसर,) को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु **विज्ञप्ति होने के पश्चात माह के प्रत्येक बृहस्पतिवार दिनांक 16–10–2025** को प्रातः 10:00 बजे से 4:00 बजे तक वाक–इन–इन्टरव्यू मेडिकल कालेज कानपुर के परीक्षा हाल–3 में आयोजित किया जाना है। अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ उक्त निर्धारित वाक–इन–इन्टरव्यू में समयानुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित वाक–इन– इन्टरव्यू में उपस्थित अभ्यर्थी को कोई भी यात्रा भत्ता अनुमन्य नही होगा। अभ्यर्थियो को यह भी सूचित किया जाता है कि अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रो तथा आई0एन0सी0 की गाइड लाइन के अनुसार प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित लाना होगा। पदो की सख्या घट बढ सकती है। यदि उक्त वाक–इन–इन्टरब्यू में पद रिक्त रह जाते है तो उस पद का निर्धारित वाक–इन–इन्टरव्यू माह के प्रत्येक बहस्पतिवार को सम्पन्न कराया जायेगा, पदों की जानकारी बेवसाइट कर दी जायेगी।

नोटः–जिन पदों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी उन पदो की लिखित परीक्षा सम्पन्न कराने के पश्चात अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया जायेगा।

S. N.	Post Name	Post with Category					QUALIFICATION&EXPERIENCE
		UR	OBC	SC	ST	EWS	
1	Professor	00	00	01	00	00	10 years experience with M.Sc.(N) out of which 7 years should be teaching experience. Ph.D.(N) is desirable

उक्त पदो पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत हैः–

1–संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को शासनादेश संख्या–57/2022/156557/71–1005(001)/20/2021 दिनांक 15–04–2022 में दिये गये निर्धारित शर्ते लागू रहेगी।

2–संविदा नर्सिंग शिक्षकों के अनुमन्य नियत मानदेय पर नियुक्ति किये जाने वाले प्रोफेसर का नियत वेतन रू0–1,00,000/– प्रतिमाह है।

3–अर्हता का निर्धारण आई0एन0सी0 मानकानुसार किया जायेगा।

4–आयु की गणना उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होगी।

5–संविदा के आधार पर नर्सिंग संवर्ग के शिक्षको के पदों पर नियुक्ति की शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैः–

(क) संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले शैक्षणिक कार्मिकों को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा,जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।

(ख) डियूटी 08 धण्टे की होगी। किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नही की जायेगी।

(ग) संविदा कार्मिको को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 दिन तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होगी।

(घ) महिला संविदा कर्मिको को मैटरनिटी लीव मैटेरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।

(ङ) यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(च) सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

(छ) संविदा छोडने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।

(ज) संविदा कर्मी सेवा में निनियमतीकरण, स्थायीकरण, पेंशन, बोनस आदि सुविधाओं के हकदान नही होगें।

(झ) संविदा कार्मिक की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर **Last Come First Go** के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।

(ञ) संविदा कार्मिक का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने और आवश्यकता होने पर कार्य एवं आचरण, सम्बन्धित के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न हो,जो इनका कार्यकाल बढाये जाने में बाधक हो एवं सम्बन्धित से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में को अपराधिक वाद नही है के आधार पर कार्यकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 01 वर्ष बढाया जा सकेगा।

(ट) लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से चयनित/नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर इनकी संविदा सेवाये स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज,कानपुर

सं0-295/तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 लखनऊ।

2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

3– कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ/उ0प्र0 आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा।

4– प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज,मेरठ,आगरा,झॉसी,प्रयागराज,गोरखपुर,आजमगढ,कन्नौज,अम्बेडकर नगर,जालौन,सहारनपुर,एवं बदायू को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना अपने कालेज नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करे। उ0प्र0।

5– प्रधानाचार्य, कालेज आफ नर्सिंग, मेडिकल कालेज, कानपुर ।

6– नोडल अधिकारी बेब साइट,मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

7– कालेज नोटिस बोर्ड ।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज,कानपुर

Scanned with OKEN Scanner